उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) अधिनियम, 1961[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 20, 1961 ई०]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 2 अगस्त, सन् 1961 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 21 अगस्त, 1961 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 3 सितम्बर, सन् 1961 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में, दिनांक 7 सितम्बर सन् 1961 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये गाजियाबाद क्षेत्र में स्थानीय निकायों के निर्भित प्रशासक की नियुक्ति की व्यवस्था करने का

अधिनियम

गजियाबाद क्षेत्र में नगर महापालिका की स्थापना सुकर बनाने के उद्देश्य से वहां नागरिक कार्यो के निमित्त प्रशासक की तुरन्त नियुक्ति करने के लिये और अन्य कतिपय आनुषंगिक विषयों के निमित्त व्यवस्था करना आवश्यक है ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) अधिनियम, 1961 कहलायेगा ।

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 8, 19

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 2, 19

(2) इसका प्रसार गाजियाबाद तहसील के भीतर और बाहर ऐसे क्षेत्रों में होगा, जो यू0 पी0 टाउन इंप्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 3 के अधीन स्थापित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद की सीमाओं के भीतर, सम्मिलित हैं, या जो सम्मिलित हों और उस क्षेत्र में भी होगा जो यू0 पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 3 के अधीन विज्ञापित गाजियाबाद की म्युनिसिपैलिटी के भीतर हो ।

परिभाषाये

2– विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में ––

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 1916

(1) "बोर्ड" या "नगरपालिका बोर्ड (Municipal Board)" का तात्पर्य यू0 पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 3 के अधीन स्थापित गाजियाबाद के म्युनिसिपल बोर्ड से है और इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति या वे व्यक्ति भी है जो बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग तथा कत्तव्यों का पालन करने के लिये उक्त ऐक्ट की धारा 31 के खण्ड (बी) के अधीन नियुक्त किये गये हों ;

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 1919

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 1916

(2) "गाजियाबाद क्षेत्र (Ghaziabad region)" का तात्पर्य गाजियाबाद तहसील के भीतर और बाहर ऐसे क्षेत्रों से है, जो यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 3 के अधीन स्थापित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद की सीमाओं में सम्मिलित हैं, या जो सम्मिलित हों और उस क्षेत्र से भी है जो यू0 पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट 1916 की धारा 3 के अधीन विज्ञापित गाजियाबाद की म्यूनिसिपैलिटी के भीतर हो ;

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृप्या दिनांक 2 अगस्त, 1961 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखियें ।

(3) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य यथास्थिति, नगरपालिका, गाजियाबाद या इन्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद से है ; और

(4) "ट्रस्ट" का तात्पर्य यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 3 के अधीन स्थापित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद से है ।

यू0 पी ऐक्ट संख्या 1919

3– (1) यू0 पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 या यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 में किसी विपरीत बात के होते भी, राज्य सरकार इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये, गजट में आज्ञा प्रकाशित करके गाजियाबाद क्षेत्र के किसी भी या समस्त स्थानीय निकायों के लिये प्रशासक (Administrator) नियुक्ति कर सकती है, और ––

प्रशासक की नियुक्ति
यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 2, 1916
यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 8, 1919

(क) यह घोषणा कर सकती है कि उस दिनांक से जो उक्त आज्ञा मे निर्दिष्ट किया जाय, स्थानीय निकाय, यथास्थिति उसके अध्यक्ष (President) या सभापति (Chairman) अथवा उसकी समिति (Committee) के समस्त अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य, चाहे वे उक्त अधिनियमितियों में के किसी के, या किसी अन्य विधि के, अधीन हों, उक्त प्रशासक में निहित हो जायेंगे और, जब तक कि उक्त आज्ञा अतिकांल या निरस्त न कर दी जाय, उनका प्रयोग, पालन तथा निर्वहन प्रशासक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किया जायगा, और वह यथावसर, बोर्ड, ट्रस्ट, अध्यक्ष, सभापति या समिति समझा जायगा ; और ––

(ख) ऐसे प्रासंगिक तथा आनुषंगिक उपबन्ध बना सकती है, जिनके अन्तर्गत उक्त ऐक्टों के किन्हीं भी उपबन्धों की निलम्बित करने के उपबन्ध भी हैं, जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार दोनों ही स्थानीय निकायों के लिये एक ही व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आज्ञा प्रकाशित हो जाने पर, यथासंघटित बोर्ड या ट्रस्ट तथा उसकी कोई भी समिति कार्य नही करेगी, और बोर्ड या ट्रस्ट अथवा उसकी समितियों के समस्त सदस्य, जिनके अन्तर्गत, यथास्थिति, उसका सभापति या अध्यक्ष भी है, उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट दिनांक से अपने पद रिक्त कर देंगे ।

(3) विशेषतया तथा उपधारा (1) के खण्ड (ख) में दिये हुए उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार उसी या अनुवर्ती आज्ञा द्वारा यह व्यवस्था कर सकती है कि ––

(क) उस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये उपर्युक्त ऐक्टों में, गाजियाबाद क्षेत्र में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में परन्तु उनके भार पर कोई प्रभाव डाले बिना, ऐसे अनुकूलन, परिष्कार तथा परिवर्तन कर सकती है जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हों, और तदुपरान्त उपर्युक्त ऐक्ट इस प्रकार किये गये अनूकूलनों, परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन रहते हुए उस क्षेत्र में उस समय तक प्रभावी होंगे जब तक उक्त क्षेत्र में नगर महापालिका की स्थापना न हो जाय ;

(ख) सम्बद्ध स्थानीय निधि मे से प्रशासक के वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जायगा ; और

(ग) यदि एक हो व्यक्ति दोनों स्थानीय निकायों के लिये प्रशासक नियुक्त किया गया हो, तो ऐसे किसी स्थानीय निकाय के अधीन, निर्दिष्ट किये जाने वाले पदों की पूर्ति

नहीं की जायगी अथवा पूर्ति दोनों स्थानीय निकायों के लिये संयुक्त आधार पर की जायगी, और इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के वेतन तथा भत्तों का सम्बद्ध स्थानीय निधि में से भुगतान किया जायगा ।

(4) यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 तथा यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के खण्ड (ख) या उपधारा (3) के अधीन दी गई आज्ञा प्रभावी होगी ।

यू0 पी ऐक्ट संख्या 2, 1961

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 8, 1919